छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

:: अधिसूचना ::

अटल नगर, दिनांक : 16/10/2020

क्रमांक/एफ 15–35/15–02/2019/4/44 – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–35/15–02/2019/4/5 दिनांक 25.07.2019 जारी की गई थी।

2// पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27.07.2020 द्वारा जिला महासमुंद में विद्यमान 81 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 49 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला महासमुंद के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15–35/15–02/2019/4/6 दिनांक 31.08.2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10.09.2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3// निर्धारित समयावधि में जिला महासमुंद की समितियों के पुनर्गठन हेतु 52 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 01.10.2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुंद को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुंद के प्रतिवेदन दिनांक 07.10.2020 द्वारा 34 दावा/आपत्तियां अमान्य करने तथा 18 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई है।

4// विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15–35/15–02/ 2019/4/5 दिनांक 25.07.2019 की कंडिका क्रमांक–5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुंद के प्रतिवेदन दिनांक 07.10.2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 09.10.2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्द्वारा जिला महासमुंद में विद्यमान 81 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 49 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु ''जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019'' एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पी.एस.सर्पराज)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019

---

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(क) **यह योजना "जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019"** कहलाएगी।

(ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

(ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला **महासमुंद** की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :– इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) ।

(ख) **"नियम"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 ।

(ग) **"पुनर्गठन"** से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।

(घ) **"प्रभावित सोसाइटी"** से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।

(ङ) **"परिणामी सोसाइटी"** से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।

(च) **"नवीन सोसाइटी"** से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

(छ) **"बैंक"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर।

(ज) **"रजिस्ट्रार"** से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधींन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो.

03 पुनर्गठन की रीति :–

(क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या

(ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या

(ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. **पुनर्गठन** :– नियत तिथि से –

(क) **"अनुसूची–एक"** के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।

(ख) **"अनुसूची–दो"** के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।

(ग) **"अनुसूची–तीन"** के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. **सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व** :–

(क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

(ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।

(ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. **रजिस्ट्रेशन / निरसन** :–

(क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।

(ख) जहॉ आवश्यक हो वहॉ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. **कर्मचारीवृन्द** :–

(क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

(ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. **अधिकार, हित और कर्त्तव्य आदि :–**

(क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्त्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।

(ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्त्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. **विवाद** :– इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. **आदेश जारी करने की शक्तियां** :– इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय–समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :– अनुसूची – एक, दो एवं तीन

(पी.एस. सर्पराज)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

क्रमांक/एफ 15–35/15–02/2019/4/2221 अटल नगर, दिनांक 16/10/2020

प्रतिलिपि–

1. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
2. सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़।
3. संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, **रायपुर**।
4. **उप** पंजीयक सहकारी संस्थाएं, **महासमुंद।**
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, **रायपुर**।
6. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर, अटल नगर।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019

अनुसूची – एक

क्र0	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिस में अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	नायकबांधा पं0क0 1046	नवागांव	पटेवा पं0क्र0 1079
2	मामाभांचा पं0क0 1045	1 हिच्छा 2 पोटिया	खट्टी पं0क0 1048
3	चरौदा पं0क0 981	नवांगाव	मामाभांचा पं0क0 1045
4	झालखम्हरिया पं0क0 749	परसकोल	बरोण्डाबाजारपं.क. 1693

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

अनुसूची – दो

क्र0	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी	नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	पिटियाझर पं0क0 497	बेमचा	1 बेमचा, 2 कौंदकेरा, 3 बनसिवनी, 4 लोहारडीह, 5 परसदा, 6 नयापारा
2	खम्हरिया पं0क0 1492	तुसदा	1 तुसदा, 2 धरमपुर, 3 घुंचापाली, 4 खुटेरी, 5 बिजराडीह, 6 डूमरपाली, 7 पेण्ड्रा, 8 फुलझर, 9 अमेठी
3	झलप पं0क0 1082	सरेकेल	1 सरकेल, 2 पाटनदादर 3 सिंघरूपाली 4 तुरेंगा 5 जोरातराई 6 कुर्रूभांठा 7 गोगल 8 कोलपदर 9 अमोरी 10 रामपुर
4	नरतोरा पं0क0 1673	सराईपाली	1 सराईपाली, 2 कुल्हरिया, 3 पथर्री, 4 फरफौद, 5 बरभांठा, 6 भटगांव 7 सुकलाभांठा
5	तेन्दूकोना पं0क0 1127	सम्हर	1 सम्हर 2 सराईपाली 3 कौहाकुडा 4 तिलाईदादर 5 कोटनपाली 6 बिराजपाली 7 करमापटपर 8 मोंगरापाली
6	मुनगासेर पं0क0 1370		9 कौंसरा 10 ठकुरीपाली
7	कसेकेरा पं0क0 1080	कछारडीह	1 कछाडीह 2 कोसमर्रा 3 भलेसर 4 द्वारतराकला 5 द्वारतराखुर्द 6 खैरटकला 7 पलसीपानी 8 भालूकोना 9 टेका 10 टूहलू 11 हाथीबाहरा 12 मातरबाहरा 13 बिछलादादर
8	गढफूलझर पं0क्र0 1350	कुरचुण्डी	1 कुरचुण्डी, 2 केहरपुर, 3 कपसाखुंटा, 4 इन्दरपुर, 5 जेवरा, 6 गणेशपुर, 7 कुदारीबाहरा, 8 केरामुण्डा
9	अंकोरी पं0क्र0 1351	चिमरकेल	1 चिमरकेल, 2 पिलवापाली, 3 नानकसागर, 4 अखराभाठा
10	बडेडाभा पं0क्र0 1349		5 देवरी, 6 पिपलीपाली
11	भंवरपुर पं0क0 1237	ठुठापाली	1 ठुठापाली, 2 बरतियाभाठा, 3 उमरिया, 4 कोयलारीडीह, 5 मेढापाली, 6 हरिलछापर, 7 बनडबरी

12	बड़ेसाजापाली पं0क्र0 1323	सलखण्ड	1 सलखण्ड, 2 कुरमाडीह, 3 बुटीपाली, 4 लोहरपाली, 5 हेडसपाली, 6 बेलटीकरी, 7 भुतहाबहरा, 8 मनगाडीह, 9 केवटापाली
13	चिंवराकुटा पं0क0 1304	सिंगबहाल	1 सिंगबहाल 2 चारभांठा 3 पंडरीपानी 4 कोईलबहाल 5 गुठानीपाली 6 बंदलीमाल 7 बलेन्डा 8 गम्हारडीह 9 बान्दूपाली
14	सरायपालीपं.क्र. 1238	कनकेवा	1 कनकेवा 2 प्रेतेनडीह 3 बगाईजोर 4 कौहाकुण्डा 5 मोखापुटका 6 बरिहापाली 7 लाखनपाली 8 लूकापारा 9. केन्दूढार
15	नर्रा पं0क0 1061	परसुली	1 परसुली 2 अमनपुरी 3 पंडरीपानी 4 कारागुला 5 बनियातोरा 6 परकोम 7 सेनभांठा 8 खट्टी
16	बरोण्डाबाजार पं0क0 1693	बम्हनी	1 बम्हनी, 2 चिंगरौद
17	बरेकेल पं0क0 1111	टेका	1 टेका, 2 सेवैयाकला, 3 कौडिया, 4 पिलवापाली
18	पिथौरा पं0क्र0 1191		5 डोंगरीपाली (कैलाशपुर)
19	रसोड़ा पं0क्र0 1230	धुमाभांठा	1 धुमाभांठा, 2 दुरूगपाली, 3 गोहेदादर, 4 कोलिहादेवरी
20	सरकण्डा पं0क0 1225	चनाट	1 चनाट, 2 दलदली, 3 गढ़गांव, 4 बिलखण्ड, 5 तिलाईदादर, 6 स्वरूपपुर, 7 बिरनडबरी, 8 रंगमटिया
21	नवरंगपुर पं0क0 1227	बोन्दानवापाली	1 बोन्दानवापाली 2 गिरसा 3 दर्राभांठा 4 डुमरपाली 5 मोंहदा

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

अनुसूची – तीन

क्र0	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	जलकी पं0क0 1167	1 झाखरमुडा, 2 रायमुड़ा	रायतुम पं0क0 1213	
		1 लहंगर, 2 पीढ़ी, 3 मोहकम, 4 खड़सा	–	लंहगर
2	तुमगांव पं0क0 518	5 गुडरूडीह, 6 परसाडीह		
3	खेमडा पं0क0 1373	1 बासकांटा	बाघामुडा पं0क0 1064	
		1 मोंगरापाली 2 डोंगरीपाली 3 रेवा 4 डोंगरगांव 5 चारभांठा 6 खुडमुडी	–	मेंगरापाली
4	कोमाखान पं0क0 1093	1 बिन्द्रावन 2 लोंदामुडा	नर्रा पं0क0 1061	
		1 बकमा 2 कोटरीपानी 3 मनबाय 4 भालूचुंवा 5 खुसरूपाली 6 बोकरामुड़ाकला 7 बोकरामुडाखुर्द 8 कंडीझर 9 छुरीडबरी 10 घोडियापाली, 11 बटोरा	–	बकमा
		1 पटपरपाली 2 केरामुडा 3 खट्टाडीह 4 चंदरपुर 5 टेमरी 6 करहीडीह 7 ब्रांहनडीह 8 मातगुडा 9 सिवनीकला 10 सिवनीखुर्द 11 सोनामुदी	–	पटपरपाली
5	पिथौरा पं0क0 1191	1 गोड़बहाल	–	राजाडेरा (राजाडीह)
6	सरकडा पं0क0 1121	2 राजाडेरा, 3 जम्हर, 4 कोकोभाठा, 5 खुसरूपाली, 6 छिबर्रा, 7 कोचर्रा		
		1 अर्जुनी	–	मुढीपार
7	पिथौरा पं0क0 1191	2 मुढ़ीपार, 3 परसापाली, 4 पोटापारा, 5 गड़बेड़ा	–	
		1 जघोरा, 2 डिधेपुर	बरेकेल पं0क0 1111	
		1 कौहाकुड़ा, 2 ठाकुरदियाकला, 3 सराईपाली, 4 बरतुंगा, 5 खुटेरी, 6 नवापाराकला	–	कौहाकुड़ा
8	सांकरापं.क. 1289	1 मेमरा 2 भोकलूडीह 3 लोहराकोट	सपोसपं.क. 1153	
		1 सुखीपाली, 2 चिखली, 3 डूमरपाली, 4 टोंगोपथरा , 5 अमोदीडीह	–	सुखीपाली
9	सागुनढापपं.क. 1274	1 आर.बी.चिपमेन 2 मोहगांव 3 कंचनपुर	पेण्ड्रावन पं0क0 1284	
		1 परसवानी, 2 रिखादादर, 3 छातामौहा, 4 पडकीपाली 5 बडेलोरम	–	परसवानी
10	सल्डीहपं.क.	6 लारीपुर, 7 फटामुड़ा 8 सिंहारपुर		

	1273	1 जेराभरन, 2 बगारदरहा, 3 छोटेलोरम, 4 लालमाटी, 5 बारीकपाली, 6 डोंगरीपाली	–	जेराभरन
11	पेण्ड्रावनपं.क. 1284	1 बिजराभांठा	सांकरा पं0क0 1289	
		1 लोहरीनडोंगरी	सागुनढ़ाप प0क0 1274	
		1 भगतदेवरी, 2 नारायणपुर, 3 ढाबाखार, 4 तिलंजपुर, 5 सावित्रीपुर, 6 भजपुरी, 7 भैरोपुर	–	भगतदेवरी
12	आरंगी पं0क0 1209	8 बिजेमाल 9 श्रीरामपुर		
		1 बरनाईदादर	पथरला पं0क्र0 1204	
		1 जाड़ामुड़ा, 2 बैतारी, 3 ताला, 4 जबलपुर, 5 कुदारीदार, 6 रजपालपुर, 7 झारमुड़ा	–	जाड़ामुड़ा
		1 देवलगढ़ 2 भतकुंदा	पिरदा पं0क्र0 1233	
13	पिरदा पं0क0 1233	1 भीखापाली 2 राजपुर 3 रामपुर	पथरला पं0क्र0 1204	
		1 जगदीशपुर, 2 जर्रा, 3 बामड़ाडीह, 4 नरसिंगपुर, 5 चनौरडीह, 6 सीतापुर, 7 बोईरडीह	–	जगदीशपुर
14	भूकेल पं0क्र0 1347	1 पौसरा, 2 बरपेलाडीह, 3 खोरापाली, 4 पठीयापाली, 5 जोगीपाली, 6 भूलका, 7 सराईपाली, 8 चिवराचुवां, 9 खवासपाली, 10 जलकोट,	–	पौसरा
		1 बैगनडीह, 2 मोहका 3 बोहारपार	–	सिंघनपुर
15	खरोरा पं0क्र0 1275	4 सिंघनपुर, 5 छुईपाली, 6 बरडीह		
		1 बानीपाली	भूकेल पं0क्र0 1347	
		1 गौरटेक, 2 खुसरूपाली, 3 कुम्हारी, 4 कर्राभौना, 5 परसकोल, 6 पितईपाली, 7 सकरी, 8 धनापाली	–	गौरटेक
16	बसना पं0क्र0 1327	1 गेर्राभाठा	रसोड़ा पं0क्र0 1230	
		1 बड़ेटेमरी, 2 छोटेटेमरी, 3 डूमरपाली, 4 खट्खटी, 5 बिटांगीपाली, 6 पदरडीह, 7 पर्रापाठ, 8 भठोरी, 9 हबेकांटा	–	बड़ेटेमरी
17	लम्बर पं0क्र0 1265	1 रोहिना, 2 टीपा, 3 भंवरादादर, 4 लोहिनडीपा, 5 दुर्गापाली, 6 कापुडीह, 7 बन्सुलीडीह, 8 पल्साभाड़ी, 9 संतपाली, 10 बिरसिंगपाली, 11 बुधुडोंगर,	–	रोहिना
18	उड़ेला पं0क0 1212	12 कांशीपाली		
		1 डोंगरीपाली	सरकण्डा पं0क0 1225	

		1 धामनघुटकुरी, 2 चंदखुरी, 3 कलमीदादर, 4 बिजराभांठा, 5 मिलाराबाद, 6 नौगडी	—	धामनघुटकुरी
19	पथरला पं0क0 1204	7 भौरादादर, 8 बाउलीघुटकुरी		
		1 भस्करापाली, 2 लिमदरहा, 3 जोगीदादर, 4 धूपेनडीह, 5 कोटगढ़, 6 कारीडोगर, 7 सांईसराईपाली, 8 देवतराई, 9 लावामौहा, 10 झापीमौहा, 11 तरेकेला, 12 खैरझुड़ी	—	भस्करापाली
		1 ब्राम्हनपुरी	पिरदा पं0क्र0 1233	
20	नूनपानी पं0क0 1199	1 जम्हारी 2 ऑवलाचक्का3 पोटापारा 4 बहेरापाली 5 साजापाली6 छिर्रापाली 7. मुंधा 8. जोगीडीपा	—	जम्हारी
21	रिसीकेला पं0क0 1231	9 लिमाउगुडा		
		1 नवागढ 2 डंगनिया 3 बोडेसरा 4 पलसापाली 5 कंवरपाली 6 घेसपाली 7 छुईपाली (छुईहा) 8 बिरकोल 9 दर्रभांठा 10 पोडापाली 11 पेलागढ	—	नवागढ
22	भोथलडीह पं0क0 1266	1 पुटका 2 डोंगीझरन 3 लांती 4 पैकिन 5 मानपाली 6 बस्तीपाली 7 देवानपाली 8 राफेल 09 डेबरीगढ 10 परेवापाली, 11 बोईरमाल	—	पुटका
23	रूढा पं0क0 1348	1 बागद्वारी		
		1 दाऊगुड़ी	नवरंगपुर पं0क्र0 1227	
		1 तिहारीपाली 2 रिमजी 3 कुर्मीपाली 4 डोंगरीपाली 5 कलेण्डा 6 रक्सा 7 मौलीखार 8 भगतसरायपाली 9 दर्रीपाली 10 सुखीपाली 11 जोगीदादर 12 खरनियाबहाल	—	तिहारीपाली
		1 मल्दामाल 2 पतेरापाली 3 सहाजपानी 4 गौरबहाली 5 समदरहा 6 सरगुनाभाठा 7 बम्हनीद्वार 8 कस्तुराबहाल 9 कोदोपाली 10 पडकीपाली 11 घुंचापाली 12 बांजीबहाल	—	मल्दामाल
24	कोटद्वारी पं0क0 1259	1 भुरसापाली	कुसमीसरार पं0क्र0 1331	
		1 गेर्रा 2 कालीदरहा 3 कोकडी 4 टेमरी 5 जामपाली 6 तिलाईमाल 7 कापुकुण्डा 8 बनोभांठा 9 अर्तुण्डा 10 सुकड़ा 11 परसापाली 12 छिबर्रा 13 अमलीपदर 14 पुजारीपाली	—	गेर्रा
25	तोषगांव पं0क्र0 1261	1 कलेण्डा 2 छिबर्रा	तोरेसिंहा पं0क्र0 1324	
		1 बिलाईगढ	—	जोगनीपाली

26	केजुवा पं0 क0 1321	2 जोगनीपाली 3 सानपंधी 4 अर्जुण्डा 5 खैरमाल 6 खपरीडीह 7 देवलभांठा 8 सरायपतेरा 9 माधोपाली		
27	तोरेसिंहा पं0क0 1324	1 अंर्तला	तोषगांव पं0क्र0 1261	
		1 जंगलबेडा 2 गोहेरापाली 3 राजाडीह 4 भालूकोना 5 पझरापाली 6 बेल्डीह 7 जटाकन्हार	—	जंगलबेडा
28	केना पं0क0 1247	1 पाईकपारा	कोटद्वारी पं0क0 1259	
		1 बेलमुण्डी 2 साल्हेपाली 3 कोदोगुड़ा 4 खैरझिटकी 5 सिंगारपुर 6 सलडीह 7 केसराटार	—	बेलमुण्डी
29	कुसमीसरार पं0क0 1331	1 टीभूपाली, 2 अमलडीह3 पलसापाली, 4 खोखेपुर	कोटद्वारी पं0क0 1259	
		1 सिरबोड़ा 2 सिरपुर 3 पोडागढ 4 पालीडीह 5 छिर्राखार 6 कोलिहादेवरी 7 कनपला	—	सिरबोड़ा
30	खल्लारी पं0क0 523	1 सोरम	नायकबांधा पं0क्र0 1046	—
		1 झारा 2 चितमखार 3 मुडियाडीह, 4 पाली, 5 कोल्दा	—	झारा

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर